8. मूल कर्तव्य

मूल कर्तव्य (अनुच्छेद 51 क) मूलत: संविधान का अंगीकृत भाग नहीं है। 1976 ई. में मूल कर्तव्य के विषय पर सरदार स्वर्ण सिंह समिति का गठन किया गया। समिति ने सिफारिश की कि संविधान में मूल कर्तव्य का अलग अध्याय होना चाहिए। इसमें बताया गया कि नागरिकों को अधिकारों के साथ कर्तव्यों को भी निभाना आना चाहिए। सरकार ने समिति की सिफारिशों को स्वीकार करते हुए 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 को लागू किया। इसके माध्यम से संविधान में एक नया भाग IVA को जोड़ा गया। इस नये भाग में केवल एक अनुच्छेद 51A था, जिसमें 10 मौलिक कर्तव्यो का वर्णन किया गया। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य को पूर्व रुसी संविधान से प्रभावित होकर लिया गया। वर्तमान में 11 मौलिक कर्त्तव्य है।

मूल कर्तव्यों की सूची

भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि वह-

- जो माता-पिता या संरक्षक हो वह छ: से चौदह वर्ष के बीच की आयु के यथास्थिति, अपने बच्चे अथवा प्रतिपाल्य को शिक्षा प्राप्त करने का अवसर प्रदान करे। यह कर्तव्य 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के तहत जोड़ा गया।
- स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखे और उनका पालन करे।
- भारत की प्रभुता, एकता और अखण्डता की रक्षा करे और उसे अक्षुण्ण रखे।
- व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करे जिससे राष्ट्र निरन्तर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छू ले।
- देश की रक्षा करे और आह्वान किये जाने पर राष्ट्र की सेवा करे।
- हमारी सामासिक संस्कृति की गौरवशाली परम्परा का महत्व समझे और उसका परिरक्षण करे।
- प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अन्तर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव है रक्षा करे और उसका संवर्द्धन करे तथा प्राणिमात्र के प्रति दयाभाव रखे।
- भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करे जो धर्म भाषा और प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे हो, ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों की भावनाओ के विरुद्ध हो।
- सभी वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करे।
- सार्वजनिक सम्पति को सुरक्षित रखे और हिंसा से दूर रहे।
- संविधान का पालन करे और उसके आदर्शो, संस्थाओं, राष्ट्रगान का आदर करे।

मूल कर्तव्य की विशेषताएं

- मूल कर्तव्य के उल्लंघन करने के खिलाफ कोई दाण्डिक विधान नहीं है। यद्यपि संसद उनके समुचित क्रियांवयन के लिए स्वतंत्र है।

  ये मूल्य भारतीय परम्परा, पौराणिक कथाओं धर्म एवं क्रियाओं से संबन्धित है।
- मूल कर्तव्य केवल नागरिकों के लिए है न कि विदेशियों के लिए।
- कुछ कर्तव्य नैतिक है तो कुछ नागरिक है। स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का सम्मान एक नैतिक कर्तव्य है, जबकि राष्ट्रीय ध्वज और गान का सम्मान नागरिक कर्तव्य है।

मूल कर्तव्य की आलोचना

- न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय न होने के कारण नैतिक उपदेश मात्र साबित हुआ।
- कुछ कर्तव्य अस्पष्ट तथा वहुअर्थी है एवं आम लोगों के समझने में कठिन है।
- कर्तव्यों की सूची पूर्ण नहीं क्योंकि इसमें कुछ अन्य कर्तव्य जैसे-मतदान, कर अदायगी, परिवार नियोजन आदि शामिल नहीं।